कार्यालय अधिष्ठाता
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.

निविदा वर्ष 2026–2027

गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल/नर्सिंग छात्रावास भवनों में वाटरकूलर के साथ संलग्न वाटर प्यूरिफायर एवं आर.ओ. के रिपेयर कार्य की दरों के निर्धारण उपरांत अनुबंध हेतु ई–निविदा फार्म

(द्वितीय निविदा आमंत्रण)

कीमत रूपये 1,000/–

(रूपये एक हजार मात्र)

वापिसी योग्य नही (Non Refundable)

निविदा क्रमांक–16357–4/05/05/2026
निविदा आई.डी.–2026_DME_505208_1

निविदा का अनुमानित मूल्यः– रूपये 15 लाख

DATE SCHEDULE OF ONLINE TENDER

S. No.	Particular	Date & Time
1.	Online Bid Publishing Date & Time	12.05.2026 Time 04.00 P.M.
2.	Online Document Download/Sale Start Date & Time	12.05.2026 Time 04.30 P.M.
3.	Pre-Bid Meeting Date & Time	14.05.2026 Time 12.00 P.M.
4.	Online Bid Submission Start Date & Time	15.05.2026 Time 12:00 P.M.
5.	Online Bid Submission Closing Date & Time	25.05.2026 Time 12:00 P.M.
6.	Online Bid Opening Date & Time	26.05.2026 Time 12:30 P.M.

DETAILS OF WATER PURIFIER AND RO

S. No.	Type of Water Purifier And RO	Capacity	Approx Qty.
1.	Watter Purifier Make-Eureka Forbes	10 Ltr.	01
2.	Watter Purifier Make- Eureka Forbes	20 Ltr.	03
3.	RO Make-Kent	12 Ltr.	03
4.	RO Make-Kent	25 Ltr.	36
5.	RO Make-Kent	100 Ltr.	05
6.	RO Make-Admin	250 Lit.	01
7.	RO Make-Admin	500 Ltr.	03
8.	RO Make-Wixon & Local	35 Lit	02
			58*

*** Above mentioned qty. is approx qty. it may be vary on the time of work.**

Format-A

Compulsory Format to Submit (Documents)

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

स.क्र	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विवरण
		संलग्न हॉ/नही
1.	www.mptenders.gov.in पोर्टल पर इलैक्ट्रोनिक (ऑनलाईन) पद्धति से जमा निर्धारित धरोहर राशि रूपये 45,000/— की पावती।	
2.	एम.एस.एम.ई. के तहत धरोहर राशि एवं निविदा फॉर्म राशि की छूट प्राप्त करने वाले निविदादाताओं को निविदा कार्य संबंधी श्रेणी का एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संबंधित निविदा कार्य की श्रेणी को प्रमाण पत्र में हाईलाईट कर व स्वयं सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संबंधित निविदा कार्य की श्रेणी का ना होने पर धरोहर राशि एवं निविदा फॉर्म राशि की छूट मान्य नही होगी।	
3.	ई—निविदा पोर्टल पर एम.एस.एम.ई. की छूट प्राप्त करने पर वाले निविदादाता को ऑनलाईन जमा जी.एस.टी राशि की पावती प्रस्तुत करना होगा।	
4.	कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड संपूर्ण निविदा प्रपत्र सील एवं हस्ताक्षर सहित	
5.	फर्म/कंपनी के जीवित रजिस्ट्रैशन की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
6.	पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रैशन की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
8.	निविदाकार को विगत 03 माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के जी.एस.टी. रिटर्न जैसे जी. एस. टी.आर—1 की स्वयं सत्यापित प्रतियॉ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
9.	निविदाकार को विगत 03 माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के जी.एस.टी. रिटर्न जैसे जी. एस. टी.आर—3बी की स्वयं सत्यापित प्रतियॉ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
10.	वर्ष 2022—2023, 2023—2024, 2024—2025 एवं 2025—2026 (तीन वर्षो का निरंतर) का सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर सार्टिफिकेट with **CA Signature:** Official seal, signature and Unique Document Identification Number (UDIN) self attested	
11.	निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2023—2024 2024—2025 एवं 2025—2026 के आई.टी. रिटर्न की स्वयं सत्यापित प्रतियॉ।	
12.	Format A **(02 पेज)**	
13.	Format B **(01 पेज)**	
14.	Format C **(01 पेज)** रूपये 100/— के नॉन—ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र।	
15.	Format D **(01 पेज)** पार्टस की वारंटी, मेक, जी.एस.टी. संबंधी प्रपत्र।	
16.	वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक (अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक) की अवधि में वाटरप्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर/सी.एम.सी./ए.एम.सी. कार्य के विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों से जारी कार्य राशि रूपये 12.00 लाख के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियॉ।	

निविदादाता फर्म का नाम अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सील सहित

आमंत्रित निविदा की नियम एवं शर्ते

उक्त अंकित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदायें निम्न शर्तो के साथ आमंत्रित की जाती हैः—

1. निविदा पत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट www.mptenders.gov.in से दिनांक 12.05.2026 से ऑनलाईन डाउनलोड कर क्रय किये जा सकते है।

2. निविदायें केवल ऑनलाईन ही क्रय की जा सकेगी एवं ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी। कार्यालय से मैन्युअली निविदा फॉर्म न तो विक्रय किया जावेगा और न ही मैन्युअली जमा किया जावेगा।

3. यदि निविदा शर्तो एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन अथवा समय वृद्धि किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो वह www.mptenders.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन सूचना जारी नही की जावेगी।

4. अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। इस हेतु उन्हें अलग से कोई सूचना नही दी जावेंगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को शासन द्वारा अवकाश की घोषणा कर दी जाती है तो प्राप्त निविदायें आगामी कार्यदिवस में खोली जावेंगी।

5. निविदा दो बिड पद्वति (Two Bid System) के आधार पर ही होगी। जो क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में होगी।

6. प्रथमतः जिन निविदादाताओं की ऑनलाईन धरोहर राशि एवं निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होंगे उन्ही निविदादाताओं की ऑनलाईन वित्तीय निविदायें खोली जावेगी। जिन निविदादाताओं द्वारा निर्धारित धरोहर राशि एवं आवश्यक पूर्ण दस्तावेज संलग्न नही किये जावेंगे। उन्हें अयोग्य मान्य किया जावेगा।

7. तकनीकी निविदायें पूर्ण पाई जाने के उपरांत ऑनलाईन वित्तीय निविदायें खोलने की दिनांक से पृथक से ऑनलाईन माध्यम से सूचना निविदादाता को प्राप्त होगी।

8. निविदादाता को निर्धारित पोर्टल www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन दरे निर्धारित प्रपत्र पर अपलोड कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता द्वारा दरों का ऑफलाईन रूप से प्रस्तुत लिफाफा मान्य नही किया जावेगा।

9. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज गलत या कूटरचित पाये जाने पर उसकी निविदा निरस्त की जाकर उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं उसका/उसकी संस्था/फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।

10. निविदादाता को निर्धारित पोर्टल www.mptenders.gov.in पर दरे निर्धारित बी.ओ.क्यू. पर ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता द्वारा दरों का ऑफलाईन रूप से प्रस्तुत लिफाफा मान्य नही किया जावेगा।

11. दरों की बी.ओ.क्यू. आईटम रेट प्रकार की है अर्थात् समस्त दरों के कुल योग के आधार पर न्यूनतम दरों का चयन किया जावेगा। प्रत्येक आयटम की पृथक—पृथक न्यूनतम दरों के आधार पर दरों का निर्धारण नही किया जावेगा।

12. एक्जाई न्यूनतम दरों के आधार पर निविदादाता का चयन किया जावेगा।

13. दरों की बी.ओ.क्यू. के कॉलम 51 में निविदादाता को जी.एस.टी. टैक्स रूपये में प्रस्तुत करना होगा। प्रतिशत में टैक्स प्रस्तुत करने पर वह मान्य नही होगा।

14. जी.एस.टी. टैक्स सहित प्रस्तुत दरे मान्य नही होगी।

15. बी.ओ.क्यू. में प्रत्येक वाटरप्यूरिफायर एवं आर.ओ. के लिये अंकित आयटम के अंतिम तीन कॉलम में आयटम के नाम अंकित नही है यह कॉलम निविदादाता के लिये ओपन है। यदि बी.ओ.क्यू. में अंकित आयटम के अलावा कोई आयटम शेष हो तो उसमें निविदादाता आयटम का नाम अंकित कर दरे प्रस्तुत कर सकता है।

16. निविदा में स्वीकृत दरों से कम दरे निविदादाता किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में प्रस्तुत नही करेगा।

17. निविदादाता को जिस कंपनी का वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. है उसी कंपनी के नार्मस् के अनुसार पार्टस ओरिजनल लगाने होंगे। पुराने निकाले गये पार्टस स्टोर में जमा कराने होंगे।

18. निविदादाता को प्रत्येक माह में कम से कम एक बार वाटरप्यूरिफायर/आर.ओ. की सर्विस हेतु विजिट करना आवश्यक होगा। आवश्यकतानुसार इमरजेंसी विजिट भी करना होगी।

19. वाटरप्यूरिफायर/आर.ओ. में किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन, लीकेज या पानी की गुणवत्ता संबंधी शिकायत पाये जाने पर निविदादाता के सर्विस इंजीनियर को उसे ठीक करने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

20. वाटरप्यूरिफायर/आर.ओ. संबंधी कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता को उसे 24 घंटे की अवधि में ठीक करना अनिवार्य होगा।

21. निविदादाता को प्रत्येक माह में एक बार वाटरप्यूरिफायर/आर.ओ. के फिल्टर की क्लीनिंग (आवश्यकता के आधार पर) करना अनिवार्य होगा जिसके चार्जेज वह सर्विस चार्ज/लेबर चार्ज में शामिल कर सकता है। पृथक से कोई राशि देय नही होगी।

22. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सर्विस चार्ज/लेबर चार्ज में वाटरप्यूरिफायर/आर.ओ. की चैकिंग, क्लीनिंग, फिल्टर, वॉल्व, रोटा मीटर, प्रैशर इन प्रैशर आउट, पंप परफार्मेंस, चैकिंग ऑफ लीकेज एवं टी.डी.एस. आउटपुट चैक करना शामिल होगा।

23. वाटरप्यूरिफायर/आर.ओ. से शुद्ध पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये निविदादाता को मैम्ब्रेन की कैमिकल क्लीनिंग/वॉश 01 वर्ष में 02 बार करना अनिवार्य होगा।

24. जो कि भी निविदादाता निविदा में शामिल होगा उसको वाटरप्यूरिफायर/आर.ओ. का सर्विस सेंटर ग्वालियर में स्थापित करना होगा।

25. निविदादाता को प्रत्येक कार्य स्थल पर अधिकृत व्यक्ति का संपर्क नं. चस्पा करना होगा ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें कॉल किया जा सकेगा।

26. बदले जाने वाले समस्त पार्टस नवीन लगाने होंगे।

27. निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. की खराब होने की शिकायत प्राप्त होने पर उसे अधिकतम 02 घंटे में ठीक करने उपस्थित होना होगा। यदि ऐसा नही होता है तो इस हेतु राशि रूपये 2,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा। जो कि निविदादाता के देयक से काट लिया जावेगा।

28. निविदादाता पर 03 से अधिक बार अर्थदण्ड आरोपित होने पर अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकता है।

29. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. में निविदादाता के कारण किसी भी प्रकार की खराबी आने के कारण वह ठीक ना होने, जल जाने की स्थिति में उसकी कीमत का निर्धारण कर उसकी वसूली निविदादाता से की जावेगी।

30. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर कार्य की अनुबंध अवधि 01 वर्ष की होगी। जिसमें कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी वृद्धि भी की जा सकेगी। परंतु समयावधि में वृद्धि करने पर कोई भी दर वृद्धि मान्य नही की जावेगी।

31. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. रिपेयर कार्य की नवीन निविदा होने तक यदि आवश्यक होता है तो निविदादाता की कार्य अवधि में 01 से 02 माह की वृद्धि की जा सकती है जो कि उसे मान्य होगी।

32. निविदादाता को कार्यआदेश प्राप्त होने पर अधिकतम 07 दिवस में कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा धरोहर राशि राजसात कर फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।

33. निविदादाता को दरे स्वीकृती संबंधी सूचना प्राप्त होने के उपरांत 05 दिवस में अनुबंध निष्पादित करने हेतु निर्धारित राशि के स्टॉम्प अपने व्यय पर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे साथ ही राशि रूपये 45,000/- बतौर जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के नाम से जमा करानी होगा।

34. समस्त निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ इलैक्ट्रोनिक पद्धति से ऑनलाईन जमा धरोहर राशि रूपये निविदा स्वीकृती के उपरांत स्वतः उनके बैंक खाता क्रमांक (जिस बैंक खाते से भुगतान किया गया है) में पोर्टल के माध्यम से वापिस प्राप्त होगी।

35. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर कार्य करने हेतु निविदादाता द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी पदस्थ किये जावेंगे जो रिपेयर कार्य के दौरान पहचान पत्र के साथ उपस्थित रहेंगे।

36. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर हेतु निविदादाता द्वारा नियुक्त कर्मचारियों में से कार्य के दौरान किसी भी कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा मृत्यु होने की दशा में उसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

37. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर हेतु पदस्थ कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की दशा में उपचार/मुआवजा देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

38. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर कार्य का भुगतान निविदादाता को मासिक आधार पर किया जावेगा।

39. निविदादाता के देयक में से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी टी.डीएस. का कटौत्रा किया जावेगा।

40. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर कार्य के देयक अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त अधिकारी के प्रमाणीकरण व अग्रेषित किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किये जावेंगे।

41. वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. का रिपेयर कार्य संतोषजनक न पाये जाने अथवा शिकायत पाये जाने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

42. यदि निविदादाता द्वारा किसी अनियमितता की शिकायत पाई जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उसका वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर कार्य का अनुबंध निरस्त कर सकेगा। साथ ही धरोहर राशि भी राजसात कर ली जावेगी।

43. उपरोक्त वर्णित शर्तो में अनुबंध पत्र संपादित करने के दौरान आवश्यकतानुसार अन्य शर्ते शामिल करने का अधिकार अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा।

44. निविदादाता को निविदा निरस्तीकरण के कारण बताये जाने के बारे में कोई अधिकार नही होंगा।

45. निविदादाता की फर्म का नाम किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग की काली सूची में अंकित होने की स्थिति में उसकी निविदा मान्य नही की जावेगी।

46. निविदादाता को खराब वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर कार्य हेतु महाविद्यालय परिसर के बाहर ले जाने की अनुमति नही दी जावेगी। उनमें होने वाले रिपेयर कार्य उसे परिसर में करने होंगे।

47. समस्त प्रक्रिया में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।

48. समस्त विवादों के निराकरण हेतु न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर ही होगा।

निविदा शर्ते एवं सह दस्तावेज– 10 पृष्ठ

अधिष्ठाता
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर(म0प्र0)

FORMAT-B

वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. का रिपेयर कार्य

प्रति,

अधिष्ठाता,
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय,
ग्वालियर

विषयः— वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर कार्य की निविदा बाबत्।

महोदय,

मेरे द्वारा गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, उससे संबद्ध चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल/नर्सिंग छात्रावास के भवनों में स्थापित वाटर प्यूरिफायर/आर.ओ. के रिपेयर कार्य हेतु www.mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित ई—निविदा पर उपलब्ध निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तो को भली भॉति पढ एवं समझ लिया गया है एवं निविदा फार्म में अंकित समस्त शर्ते मुझे स्वीकार है। जिसके फलस्वरूप मैं ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत कर रहा हूॅ। मेरी फर्म के संबध में जानकारी निम्नानुसार हैः—

स.क्र.	वांछित जानकारी	विवरण
1.	निविदादाता का पूरा नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	निविदादाता फर्म का पंजीयन नं.	
4.	पत्राचार का पूर्ण पता पिन कोड नं. सहित	
5..	स्थायी पता	
6.	ई—मेल/फैक्स नं.	
7.	दूरभाष/मोबाईल नं.	
8.	पेन नं.	
9.	जी.एस.टी. नं.	
10.	बैंक खाता क्रमांक (फर्म के नाम)	
11.	बैंक का नाम	
12.	खाते का प्रकार	
13.	बैंक शाखा का नाम एवं पूर्ण पता	
14.	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड	

निविदादाता फर्म का नाम अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सील सहित

FORMAT-C

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(रूपये 100/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जावे)

1. मैं/ हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/ हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदा कार्य से बहिष्कृत नही किया गया है।
4. मैं/ हम किसी ऐसे कांट्रेक्टर (ठेकेदार) को जो कि मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा वर्तमान में बहिष्कृत ना हो, न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हैं/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गई है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गई है तो उसे अमान्य मान जावे।
6. मेरा/हमारा गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर एवं संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नही है।
7. मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरे मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
8. हमारी संस्था सी.बी.आई./लोकायुक्त/अन्य शासकीय कार्यालय इत्यादि की जॉच में दोषी सिद्ध नही किया गया है, और ना ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे द्वारा बिंदु क्रमांक 01 से 08 तक प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने पर मै स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर निविदादाता के हस्ताक्षर सील सहित

1. गवाह का नाम, हस्ताक्षर, पता एवं मोबाईल नं
2. गवाह का नाम, हस्ताक्षर, पता एवं मोबाईल नं

स्थान : ....

दिनांक : ....

FORMAT-D

Column No. 3 ,4 and 5 to be filled by Bidder (Compulsory)

S.No.	NAME OF PART	Make	Warranty	GST in %
1	2	3	4	5
1.	RO Membrane			
2.	Pre Filters			
3.	Post Carbon Filter			
4.	UV Lamp			
5.	RO Pump			
6.	Solenoid Valve			
7.	TDS Controller/Meter			
8.	Pressure Tank			
9.	Faucet / Tap			
10.	Flow Restrictor			
11.	Bosster Pump (Optional for fow Water Pressure)			
12.	Connector Tubing and O-Rings			
13.	Electronic Controller Board			
14.	UV/ WF Housing			
15.	Sediment Filter			
16.	Carbon Filter (Activated)			
17.	Mineral Cartridege			
18.	A- Write Here Part Name if any not mentioned above			
19.	B- Write Here Part Name if any not mentioned above			
20.	C- Write Here Part Name if any not mentioned above			

Signature Not Verified

Digitally signed by RAM KRISHAN SINGH DHAKAD
Date: 2026.05.12 15:03:36 IST
Location: Madhya Pradesh-MP